


वाच सं०:- 34

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०
ग्राम कठवारा प० व तह० सदर
जिला रायबरेली

श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर.....बनाम.....ग्राम समा

निर्णय

धारा 143 ज०वि०अधि० के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व० महावीर सिंह निवासी भवन सं० 521 पंचवटी सिविल लाइन प० व तह० जिला रायबरेली द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम कठवारा प० व तह० सदर जिला रायबरेली के खाता सं० 560 की गा०सं० 1497मि./0.278हे० व खाता सं० 366 की गा०सं० 1497मि./0.152हे० खाता सं० 421 की गा०सं० 1500मि./0.305हे० व खाता सं० 440 की गा०सं० 1497मि./0.406हे० भूमि महावीर सिंह स्मारक विद्यालय हरचन्दपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व० महावीर सिंह निवासी भवन सं० 521 पंचवटी सिविल लाइन प० व तह० सदर जिला रायबरेली के नाम बतौर सहखातेदार संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व काबिज दखील है। भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय के भवन एवं परिसर में शामिल है। जिसमें शैक्षणिक कार्य हो रहा है। प्रश्नगत गाटो का उपयोग गैर कृषिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। अन्त में उपरोक्त गाटो को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने की याचना की है।



उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार सदर को जांच हेतु भेजा गया। तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 23.02.2013 में अवगत कराया है कि ग्राम कठवारा प० व तह० सदर जिला रायबरेली की खतौनी सन् 1418-1423 फ० की खाता सं० 560 की गा०सं० 1497मि./0.278हे०, व खाता सं० 366 की गा०सं० 1497मि./0.152हे० व खाता सं० 421 की गा०सं० 1500मि./0.350हे० व खाता सं० 440 की गा०सं० 1497मि./0.406हे० भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व० महावीर सिंह निवासी भवन सं० 521 पंचवटी सिविल लाइन प० व तह० सदर जिला रायबरेली के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व काबिज दखील है। प्रश्नगत गाटो पर महाविद्यालय संचालित है। भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय के भवन एवं परिसर में है। जिसमें शैक्षणिक कार्य हो रहा है। भूमि अकृषिक/व्यवसायिक के रूप में लाई जा रही है। जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया, पत्रावली पर रक्षित तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 23.02.2013 एवं

श्री महावीर सिंह पुत्र स्व० महावीर सिंह
521, सिविल लाइन-पंचवटी

उद्घरण खतौनी सन् 1418-1423 के अनुसार ग्राम कठवारा प0 व तह0 सदर जिला रायबरेली के खाता सं0 560 की गा0सं0 1497मि./0.278हे0, व खाता सं0 360 की गा0सं0 1497मि./0.152हे0 व खाता सं0 421 की गा0सं0 1500मि./0.350हे0 व खाता सं0 440 की गा0सं0 1497मि./0.406हे0 भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्द्रपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश बहादुर सिंह पुत्र रसो महावीर निवासी भवन सं0 521 पंचवटी सिविल लाइन प0 व तह0 सदर जिला रायबरेली के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व कारिज दखील है। प्रश्नगत गाटो पर महाविद्यालय संचालित है। भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय के भवन एवं परिसर में है। जिसमें शैक्षणिक कार्य हो रहा है। भूमि अकृषिक/व्यवसायिक के रूप में लाई जा रही है। जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है। लेखपाल के बयान से दावे की पुष्टि होती है। तहसीलदार सदर ने उक्त भूमि को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने की सँस्तुति की है। खातेदार के प्रार्थना पत्र में धारा 143 ज0वि0अधि0 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गैर कृषिक प्रयोजन हेतु घोषणा की जा सकती है। ऐसी रिथति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः ग्राम कठवारा व तह0 सदर जिला रायबरेली की खतौनी सन् 1418 से 1423फ0 की खाता सं0 560 की गा0सं0 1497मि./0.278हे0, खाता सं0 366 की गा0सं0 1497मि./0.152हे0, खाता सं0 421 की गा0सं0 1500मि./0.305हे0, खाता सं0 440 की गा0सं0 1497मि./0.406हे0 को तहसीलदार सदर रायबरेली की आख्या दिनांक 23.02.2013 के कम में गैर कृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। भविष्य में यदि भूमि का प्रयोग कृषि के रूप में होता पाया जाये तो ज0वि0अधि0 की धारा 144 के अर्न्तगत पुनः कृषि योग्य घोषित कराने की कार्यवाही की जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। एक प्रति उपनिबन्धक सदर रायबरेली को भेजी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही सुरक्षित हो।

दिनांक:- 27 फरवरी 2013

(एस0सी0तिवारी)
उपजिलाधिकारी
सदर-रायबरेली

27.2.13

लिपि
की संख्या

01/313

मध्य प्रतिलिपि

सदर

01/313
उपनिबन्धक-रायबरेली

245

27/2/13

01/313

01/313

01/313

197

5

प्रतिनिधि

01/313

01/313